F.No.20/ 16/04/2018-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

(जीएसटी पॉलिसी विंग)

****

नई दिल्ली

दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

सेवा में

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त

प्रधान आयुक्त/केन्द्रीय कर आयुक्त (सभी)

प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदय/महोदया,

विषय: जीएसटी के अंतर्गत सेवाओं के निर्यात पर स्पष्टीकरण के संबंध में ।

जीएसटी कानूनों के अंतर्गत सेवाओं के निर्यात से संबंधित कतिपय मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी जांच की गई है और उनसे संबंधित स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं.	**मुद्दा**	**स्पष्टीकरण**
	यदि कोई सेवा निर्यातक सेवा संविदा के एक हिस्से को भारत के बाहर स्थित किसी व्यक्ति से आउटसोर्स करवाने के लिए दे देता है, निर्यातक को संविदा के कथित हिस्से पर कर संबंधी क्या नियम लागू होंगे । कुछ	1. जहां भारत में स्थित एक सेवा निर्यातक भारत से बाहर स्थित किसी प्राप्तकर्ता को भारत से बाहर स्थित किसी अन्य सेवा की आपूर्तिकर्ता के माध्यम से पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से कुछ सेवाएं प्रदान कर रहा है, निम्नलिखित दो आपूर्तियां की जा रही हैं:- (i) भारत से बाहर स्थित सेवा प्राप्तकर्ता को संविदा के पूरे मूल्य के लिए भारत में स्थित सेवा निर्यातक से सेवाओं की आपूर्ति

	ऐसे उदाहरण भी मिल सकते हैं, जहां भारत में निर्यातक को पूरा प्रतिफल नहीं मिलता है ।	(ii) संविदा के आउटसोर्स किए गए हिस्से के संबंध में भारत से बाहर स्थित सेवा प्रदाता से भारत में स्थित सेवा निर्यातक द्वारा सेवाओं का आयात करना । इसलिए भारत में स्थित सेवाओं के निर्यातक और भारत से बाहर स्थित सेवा प्राप्तकर्ता के बीच हुई संविदा में सहमत सेवाओं के कुल मूल्य का सेवा निर्यातक के रूप में लाभ मिलेगा यदि आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (संक्षेप में आईजीएसटी अधिनियम) की धारा 2 (6) में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हैं। 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में स्थित सेवा प्रदाता सेवाओं के उस हिस्से, जो भारत से बाहर स्थित सेवा प्राप्तकर्ता को बाहर स्थित सेवा प्रदाता द्वारा दी जाती है, के आयात पर रिवर्स प्रभार आधार पर एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा । इससे अधिक भारत में स्थित कथित सेवा प्रदाता ऐसे भुगतान किए गए एकीकृत कर का इनपुट कर क्रेडिट लेने के लिए पात्र होगा । 3. इसलिए, यद्यपि इस तथ्य के कारण कि भारत से बाहर स्थित सेवा प्रदाता को (सेवाओं के आउटसोर्स हिस्से के लिए) सीधे भुगतान करने के कारण भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संविदा मूल्य के अनुसार सेवाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है, तो आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2(6) (iv) के संबंध में प्रतिफल के उस भाग को सेवाओं के निर्यात के लिए प्रतिफल की प्राप्ति के रूप में माना जाएगा, (i) भारत से बाहर स्थित सेवा प्राप्तकर्ता को भारत से बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता द्वारा सीधे दी गई सेवाओं के उस हिस्से

		पर सेवाओं के आयात के लिए भारत में स्थित आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वीकृत कर का भुगतान कर दिया है (ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य अनुदेशों अथवा विशेष अनुमोदन द्वारा यह अनुमति दी है कि ऐसे निर्यात के लिए लाभ का एक हिस्सा भारत से बाहर रखा जा सकता है उदाहरण:- एबीसी लि. इंडिया को अमरीका स्थित एक ग्राहक को 5,00,000/- डॉलर के मूल्य की सेवा प्रदान करने का एक ऑर्डर मिला है एबीसी लि. इंडिया द्वारा भारत से सेवाएं प्रदान करना संभव नहीं था और एक्सवाईजेड लि. मैक्सिको (जो आईजीएसटी अधिनियम की धारा 8 में व्याख्या । के अनुसार किसी पृथक व्यक्ति यानि एबीसी लि. इंडिया की एक संस्था नहीं है।), को सेवाओं के एक हिस्से (कुल संविदा मूल्य का 40%) की आपूर्ति करने के लिए कहा गया । एबीसी लि. इंडिया समस्त मूल्य के लिए सेवाओं का निर्यातक होगा यदि एबीसी समस्त मूल्य के लिए इनवायस तैयार करता है । एक्सवाईजेट लि. मैक्सिको द्वारा अमेरीका स्थित ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाएं एबीसी लि. इंडिया द्वारा सेवाओं का आयात माना जाएगा और यह रिवर्स प्रभार के अंतर्गत इस पर स्वीकृत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस प्रकार दिए गए एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का पात्र भी होगा । इसके अतिरिक्त यदि भारत में प्राप्त प्रतिफल के केलव 60 % प्रतिशत परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा की वसूली के संबंध में आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2(6) में निहित प्रावधानों को पूरा नहीं किया जाता और शेष राशि एक्सवाईजेड लि. मैक्सिको द्वारा अमरिका स्थित ग्राहक को सीधे ही दे दी जाती है, ऐसे मामले में भी एबीसी द्वारा किए गए सेवा के निर्यात के लिए सम्पूर्ण संविदा मूल्य के 100% को प्रतिफल के रूप में लिया जाएगा बशर्ते

		एक्सवाईजेड लि. मैक्सिको द्वारा अमेरिका स्थित ग्राहक को दी गई सेवाओं के एक हिस्से पर सेवाओं के आयात पर एकीकृत कर का भुगतान किया गया हो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (सामान्य अनुदेश अथवा विशेष अनुमोदन द्वारा) ने अनुमति दी है कि ऐसे निर्यातों के लिए लाभ का एक हिस्सा भारत से बाहर रखा जा सकता है अन्य शब्दों में, ऐसे मामलों में एबीसी लि. मैक्सिको द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा कुल वसूली के लिए निर्यात लाभ उपलब्ध रहेंगे ।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

3. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, तो बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

(उपेन्द्र गुप्ता)
आयुक्त (जीएसटी)